अभिलेख उपस्थापित। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। बंदोबस्तदार के द्वारा बंदोबस्ती से संबंधित कागजात इस कार्यालय में जमा किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से उक्त बंदोबस्त भूमि का अद्यतन प्रतिवेदन की मांग करें।

लेखापित

10/12/25

अंचल अधिकारी
गोड्डा सदर।

10/12/25

अंचल अधिकारी
गोड्डा सदर।

10-12-25

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदनानुसार मौजा–अमरपुर, थाना सं0–534 के गैरमजरूआ खाता सं0–218 दाग सं0–4244 खतियानी रकवा–04–14–14 धूर किस्म परती कदीम के रूप में गत सर्वे खयितान में दर्ज है। पंजी 2 के अवलोकन से पाया कि खाता सं0–218 के अंदर रकवा–04–14–14 धूर भूमि जगन हॉसदा पिता–चेतन हॉसदा के नाम से दर्ज है। जांच के क्रम में बन्दोबस्तदार के वंशज के द्वारा प्रस्तुत कागजात के अवलोकन से पाया कि अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के बंदोबस्ती वाद सं0–16/93–94 से बंदोबस्तदार को उक्त भूमि प्राप्त है। स्थल जांच में पाया कि बन्दोवस्तदार रैयत/वंशज द्वारा बंदोबस्त भूमि को खेत बनाकर खेती कर रहा है। बंदोबस्तदार इसी मौजा का जमाबंदी रैयत एवं अनुसूचित जन जाति श्रीणी के हैं। झारखंड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 की कंडिका 5 की उपकंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की गैरमजरूआ भूमि यथा गौचर, वन भूमि श्मसान, हड़गड़ी, कब्रिस्तान, सरना स्थल, मसना स्थल, नदी–नाला पहाड़, आम रास्ता आदि का नियमितीकरण/बन्दोबस्ती नहीं की जाएगी। इनके द्वारा उक्त संकल्प के आलोक में पंजी 2 रैयत के नाम से संधारित अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार संधारित अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी को झारखंड सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 तथा पत्रांक–06/भूमि का नियमितीकरण, 89/2020–1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 के आलोक में संचित कर बंदोबस्ती एवं दखल कब्जा के आधार पर मौजा–अमरपुर थाना सं0–534 के गैरमजरूआ खाता सं0–218 के अंदर दाग सं0–4244 के अंश रकवा–01–14–14 धूर भूमि की जगन हॉसदा पिता–चेतन हॉसदा के नाम से खाता सं0–218 में कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा...... की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता गोड्डा को भेजे।
लेखापित लेखापित

10/12/25

अंचल अधिकारी
गोड्डा सदर।

10/12/25

अंचल अधिकारी
गोड्डा सदर।

Digitally signed by HALDHAR KUMAR SETHI
Date: 2025.12.29 18:09:55 +05:30
Location: 10.93.146.230